

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 214]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च 2021—फाल्गुन 28, शक 1942

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
भगत सिंह चौक, शंकर नगर रोड, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 19 मार्च 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2268/पेड/2014/सू.प्रौ.. — छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एतद द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग प्रक्रिया नियम-2014 में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में —

1. नियम 17.6 के वर्तमान प्रावधानों को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर निम्नानुसार नवीन प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाए।
 - 17.6. आयोग द्वारा लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा व साक्षात्कार तथा अंतिम चयन हेतु अभ्यर्थियों के चिन्हांकन की प्रक्रिया निम्नानुसार की जाएगी—
 - 17.6.1. अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत समेकित मेरिट सूची से बढ़ते मेरिट क्रम में चिन्हांकन निम्नानुसार दर्शित क्रम में किए जाएंगे—
 - 17.6.1.1. सर्वप्रथम अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत वांछित कुल महिला अभ्यर्थियों (UR_F) के चिन्हांकन की प्रक्रिया की जाएगी।
 - 17.6.1.2. अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत वांछित संख्या में महिला अभ्यर्थी न मिलने के दशा में शेष चिन्हांकन अनारक्षित मुक्त वर्ग (UR_O) से किए जाएंगे।
 - 17.6.1.3. अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत वांछित कुल अभ्यर्थियों की संख्या में से अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत प्राप्त वांछित से कम अथवा वांछित महिला अभ्यर्थियों, वांछित दिव्यांग (UR_PH) अभ्यर्थियों व वांछित भूतपूर्व सैनिक (UR_EXS) अभ्यर्थियों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का अनारक्षित खुले वर्ग के अंतर्गत चिन्हांकन किया जाएगा।

- 17.6.1.4. अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत वांछित दिव्यांग अभ्यर्थियों का, दिव्यांगता के प्रकार के आधार पर चिन्हांकन किया जाएगा। यदि अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत विज्ञापित पद जो दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित हैं, की संख्या 01 से अधिक हो तथा अलग-अलग प्रकार की दिव्यांगता अथवा अलग-अलग प्रकार की दिव्यांगता के प्रकारों के समूहों हेतु पद विज्ञापित किए गए हों तो अलग-अलग प्रकार की दिव्यांगता अथवा अलग-अलग प्रकार की दिव्यांगता के प्रकारों के समूहों हेतु वांछित संख्या में अलग-अलग चिन्हांकन किए जाएंगे। वांछित संख्या में दिव्यांगजन अभ्यर्थी न मिलने पर रिक्त चिन्हांकन किए जाएंगे तथा किसी प्रकार का समायोजन नहीं किया जाएगा।
- 17.6.1.5. अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत वांछित भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के चिन्हांकन की प्रक्रिया की जाएगी। वांछित संख्या में भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी न मिलने पर रिक्त चिन्हांकन किए जाएंगे तथा किसी प्रकार का समायोजन नहीं किया जाएगा।
- 17.6.1.6. ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार (केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन की स्थिति में) में प्राप्तांक अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हकारी प्राप्तांकों के बराबर अथवा अधिक हो अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत चिन्हांकन हेतु प्रक्रिया में शामिल किए जाएंगे, चाहे उनका मूल वर्ग अथवा उपवर्ग आरक्षित वर्ग (SC/ ST/ OBC) अथवा आरक्षित उपवर्ग (SC_PH/ ST_PH/ OBC_PH/ SC_EXS/ ST_EXS/ OBC_EXS) ही क्यों न हो।
- 17.6.1.7. अंतिम चयन को छोड़कर चयन के शेष स्तरों में अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत चिन्हांकन की प्रक्रिया में चिन्हांकित क्रमशः अंतिम महिला, अंतिम मुक्त, अंतिम दिव्यांगजन, अंतिम भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने वाले क्रमशः महिला, मुक्त, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों का अनारक्षित वर्ग अथवा अनारक्षित उपवर्ग के अंतर्गत संबंधित श्रेणी (महिला/ मुक्त/ दिव्यांगजन/ भूतपूर्व सैनिक) में चिन्हांकन किया जाएगा।
- 17.6.1.8. किसी भी श्रेणी (UR_F, UR_O, UR_PH, UR_EXS) के अंतर्गत चिन्हांकन होने की दशा में अन्य श्रेणी में चिन्हांकन नहीं किया जाएगा।
- 17.6.2. **आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत समेकित मेरिट सूची से बढ़ते मेरिट क्रम में आरक्षित वर्गवार चिन्हांकन निम्नानुसार दर्शित क्रम में किए जाएंगे—**
- 17.6.2.1. सर्वप्रथम संबंधित आरक्षित वर्ग के अंतर्गत वांछित कुल महिला (SC_F/ ST_F/ OBC_F) अभ्यर्थियों के चिन्हांकन की प्रक्रिया की जाएगी।
- 17.6.2.2. संबंधित आरक्षित वर्ग के अंतर्गत वांछित संख्या में महिला अभ्यर्थी न मिलने के दशा में शेष चिन्हांकन संबंधित आरक्षित मुक्त वर्ग (SC_O/ST_O/OBC_O) से किए जाएंगे।
- 17.6.2.3. संबंधित आरक्षित वर्ग के अंतर्गत वांछित कुल अभ्यर्थियों की संख्या में से संबंधित आरक्षित वर्ग के अंतर्गत प्राप्त वांछित से कम अथवा वांछित महिला अभ्यर्थियों, वांछित दिव्यांग (SC_PH/ST_PH/OBC_PH) अभ्यर्थियों व वांछित भूतपूर्व सैनिक (SC_EXS/ST_EXS/OBC_EXS) अभ्यर्थियों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का संबंधित आरक्षित खुले वर्ग के अंतर्गत चिन्हांकन किया जाएगा।
- 17.6.2.4. संबंधित आरक्षित वर्ग के अंतर्गत वांछित दिव्यांग अभ्यर्थियों का, दिव्यांगता के प्रकार के आधार पर चिन्हांकन किया जाएगा। यदि संबंधित आरक्षित वर्ग के अंतर्गत विज्ञापित पद जो दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित हैं, की संख्या 01 से अधिक हो तथा अलग-अलग प्रकार की दिव्यांगता अथवा अलग-अलग प्रकार की दिव्यांगता के समूहों हेतु पद विज्ञापित किए गए हों तो अलग-अलग प्रकार की दिव्यांगता अथवा अलग-अलग प्रकार की दिव्यांगता के समूहों हेतु वांछित संख्या में अलग-अलग चिन्हांकन किए जाएंगे। वांछित संख्या में दिव्यांगजन अभ्यर्थी न मिलने पर रिक्त चिन्हांकन किए जाएंगे तथा किसी प्रकार का समायोजन नहीं किया जाएगा।

- 17.6.2.5 संबंधित आरक्षित वर्ग के अंतर्गत वांछित भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के चिन्हांकन की प्रक्रिया की जाएगी। वांछित संख्या में भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी न मिलने पर रिक्त चिन्हांकन किए जाएंगे तथा किसी प्रकार का समायोजन नहीं किया जाएगा।
- 17.6.2.6 अंतिम चयन को छोड़कर चयन के शेष स्तरों में संबंधित आरक्षित वर्ग के अंतर्गत चिन्हांकन की प्रक्रिया में चिन्हांकित क्रमशः अंतिम महिला, अंतिम मुक्त, अंतिम दिव्यांगजन, अंतिम भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने वाले क्रमशः महिला, मुक्त, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों का संबंधित आरक्षित वर्ग के अंतर्गत संबंधित श्रेणी (महिला/मुक्त/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक) में चिन्हांकन किया जाएगा।
- 17.6.2.7 किसी भी श्रेणी (SC_F, SC_O, SC_PH, SC_EXS, ST_F, ST_O, ST_PH, ST_EXS, OBC_F, OBC_O, OBC_PH, OBC_EXS) के अंतर्गत चिन्हांकन होने की दशा में अन्य श्रेणी में चिन्हांकन नहीं किया जाएगा।
- 17.6.3 आयोग द्वारा जारी जिन विज्ञापनों में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु विज्ञापित पदों को वर्गवार विज्ञापित कुल पदों में शामिल किया गया है, के लिए दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के चिन्हांकन हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी—
- 17.6.3.1 अनारक्षित तथा आरक्षित वर्ग के अंतर्गत चिन्हांकन की प्रक्रिया में चिन्हांकन से वंचित दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की समेकित मेरिट सूची से वांछित दिव्यांगजन अभ्यर्थियों का चिन्हांकन किया जाए।
- 17.6.3.2 यदि विज्ञापित पद जो दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित हैं, की संख्या 01 से अधिक हो तथा अलग-अलग प्रकार की दिव्यांगता अथवा अलग-अलग प्रकार की दिव्यांगता के प्रकारों के समूहों हेतु पद विज्ञापित किए गए हों तो अलग-अलग प्रकार की दिव्यांगता अथवा अलग-अलग प्रकार की दिव्यांगता के प्रकारों के समूहों हेतु वांछित संख्या में अलग-अलग चिन्हांकन किए जाएंगे।
- 17.6.3.3 चिन्हांकित दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के मूल वर्ग के आधार पर वर्गवार वांछित संख्या में से प्राप्त दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की संख्या को अनारक्षित मुक्त (UR_O), अनुसूचित जाति मुक्त (SC_O), अनुसूचित जनजाति मुक्त (ST_O) व अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त (OBC_O) के अंतर्गत वांछित संख्या से विकलित किया जाकर वर्गवार मुक्त वांछित संख्या का पुनः निर्धारण किया जाए।
- 17.6.3.4 यदि किसी पद हेतु चिन्हांकित दिव्यांगजन अभ्यर्थी के मूल वर्ग के अंतर्गत कोई पद विज्ञापित न हो अथवा उस वर्ग में वांछित संख्या उस वर्ग में चिन्हांकित दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की संख्या से कम होने के कारण वांछित संख्या से विकलन करने पर शून्य शेष रहा हो तो, अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत वांछित संख्या में विकलन द्वारा समायोजन किया जाए। यदि अनारक्षित वर्ग में भी पद विज्ञापित न हो तो बिना किसी समायोजन/विकलन के दिव्यांगजन अभ्यर्थी चिन्हांकित किए जाए तथा केवल अंतिम चयन प्रक्रिया में संबंधित विभाग द्वारा भविष्य की रिक्तियों में समायोजन हेतु निर्देश के साथ चयन सूची जारी की जाए।
- 17.6.3.5 निःशक्तजन अभ्यर्थी वांछित संख्या में न मिलने पर छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षण के प्रतिशत के आधार पर रिक्त चिन्हांकन किए जाएं अथवा अंतिम चयन की स्थिति में पद अग्रणित किए जाएं। उदाहरण के लिए—
- वर्गवार विज्ञापित कुल पदों में से दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध वांछित संख्या में चिन्हांकन की प्रक्रिया के पश्चात अनुपलब्धता के कारण रिक्त रहे/अग्रणित किए जाने वाले चिन्हांकन की संख्या P हो तो—
- अनुसूचित जाति वर्ग से वांछित मुक्त अभ्यर्थियों की नवीन संख्या SC_O की गणना निम्न प्रकार होगी—

SC_O= अनुसूचित जाति मुक्त वर्ग से वांछित अभ्यर्थियों की वास्तविक संख्या – P X अनुसूचित जाति वर्ग हेतु आरक्षण का प्रतिशत / 100

अनुसूचित जन-जाति वर्ग से वांछित मुक्त अभ्यर्थियों की नवीन संख्या ST_O की गणना निम्न प्रकार होगी—

ST_O= अनुसूचित जन-जाति मुक्त वर्ग से वांछित अभ्यर्थियों की वास्तविक संख्या – P X अनुसूचित जन-जाति वर्ग हेतु आरक्षण का प्रतिशत / 100

अन्य पिछड़ा वर्ग से वांछित मुक्त अभ्यर्थियों की नवीन संख्या OBC_O की गणना निम्न प्रकार होगी—

OBC_O= अन्य पिछड़ा मुक्त वर्ग से वांछित अभ्यर्थियों की वास्तविक संख्या – P X अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण का प्रतिशत / 100

अनारक्षित वर्ग से वांछित मुक्त अभ्यर्थियों की नवीन संख्या UR_O की गणना निम्न प्रकार होगी—

UR_O= समस्त मुक्त वर्ग से वांछित अभ्यर्थियों की संख्या का योग – (SC_O + ST_O + OBC_O) - P

उक्त गणनाओं में यदि संख्या दशमलव में प्राप्त हो तो उसे अगली पूर्णांक संख्या से तब विस्थापित करेंगे, जब दशमलव अंक का मान 0.5 या उससे अधिक हो अन्यथा पूर्णांक को अपरिवर्तित रखते हुए दशमलव अंक विलोपित कर दिया जाएगा।

यदि किसी वर्ग विशेष में वांछित अभ्यर्थियों की संख्या, निःशक्तजन अभ्यर्थियों के चिन्हांकन के कारण उस वर्ग से विकलित की जाने वाली संख्या से कम हों अथवा शून्य हो तो अनारक्षित वर्ग में वांछित अभ्यर्थियों की संख्या में विकलन कर समायोजन किया जाए। यदि अनारक्षित वर्ग में वांछित अभ्यर्थियों की संख्या शून्य अथवा निःशक्तजन अभ्यर्थियों हेतु रिक्त चिन्हांकनों की संख्या जिनका समायोजन किया जाना है, से कम हो तो बिना किसी विकलन अथवा समायोजन के निःशक्तजन अभ्यर्थियों हेतु चिन्हांकन किया जाए।

उक्तानुसार अनारक्षित मुक्त (UR_O), अनुसूचित जाति मुक्त (SC_O), अनुसूचित जनजाति मुक्त (ST_O) व अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त (OBC_O) के पुनः निर्धारण के पश्चात शेष श्रेणियों अनारक्षित महिला (UR_F), अनारक्षित विकलांग (UR_PH), अनारक्षित भूतपूर्व सैनिक (UR_EXS), अनुसूचित जाति महिला (SC_F), अनुसूचित जाति विकलांग (SC_PH), अनुसूचित जाति भूतपूर्व सैनिक (SC_EXS), अनुसूचित जनजाति महिला (ST_F), अनुसूचित जनजाति विकलांग (ST_PH), अनुसूचित जनजाति भूतपूर्व सैनिक (ST_EXS) अन्य पिछड़ा वर्ग महिला (OBC_F), अन्य पिछड़ा वर्ग विकलांग (OBC_PH), अन्य पिछड़ा वर्ग भूतपूर्व सैनिक (OBC_EXS) की वांछित संख्या को अपरिवर्तित रखते हुए चिन्हांकन की प्रक्रिया नए सिरे से की जाए। यदि नए सिरे से चिन्हांकन की प्रक्रिया के पश्चात दिव्यांगजनों हेतु बिना किसी वर्ग के विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्राप्त दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की संख्या पूर्व प्रक्रिया में प्राप्त दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की संख्या से अधिक हो, तो उपरोक्त कंडिकाओं के अनुसार अनारक्षित मुक्त (UR_O), अनुसूचित जाति मुक्त (SC_O), अनुसूचित जनजाति मुक्त (ST_O) व अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त (OBC_O) के पुनः निर्धारण के पश्चात शेष श्रेणियों अनारक्षित महिला (UR_F), अनारक्षित विकलांग (UR_PH), अनारक्षित भूतपूर्व सैनिक (UR_EXS), अनुसूचित जाति महिला (SC_F), अनुसूचित जाति विकलांग (SC_PH), अनुसूचित जाति भूतपूर्व सैनिक (SC_EXS), अनुसूचित जनजाति महिला (ST_F), अनुसूचित जनजाति विकलांग (ST_PH), अनुसूचित जनजाति भूतपूर्व सैनिक (ST_EXS) अन्य पिछड़ा वर्ग महिला (OBC_F), अन्य पिछड़ा वर्ग विकलांग (OBC_PH), अन्य पिछड़ा वर्ग भूतपूर्व सैनिक (OBC_EXS) की वांछित संख्या को अपरिवर्तित रखते हुए चिन्हांकन की प्रक्रिया नए सिरे से की जाए।

2. नियम 18 में जहां कहीं भी शब्द "25 प्रतिशत" हो, को शब्द "50 प्रतिशत" से विस्थापित किया जाय।
3. नियम 56.13 के वर्तमान प्रावधानों को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर निम्नानुसार नवीन प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाए।

“ 56.13 यदि ऑनलाइन आपत्ति के पश्चात् किसी प्रश्न पत्र में 20 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों को विलोपित करने की आवश्यकता होती है, तो आयोग परीक्षा निरस्त कर, परीक्षा के पुनः आयोजन के संबंध में निर्णय ले सकेगा। बहुविकल्पीय परीक्षा में दावा आपत्ति का निराकरण विशेषज्ञों द्वारा कराये जाने के पश्चात् परीक्षा परिणाम जारी किये जायेंगे। ”

हस्ता./—

(जीवन किशोर धुव)
सचिव.

Raipur, the 19th March 2021

NOTIFICATION

No. 2268/पेड/2014/सू.प्रौ. — Chhattisgarh Public Service Commission hereby amends the Chhattisgarh Public Service Commission Rules of Procedure -2014, namely –

AMENDMENT

In the aforesaid rules-

1. Existing provisions in rule 17.6 shall be deleted and in place of those, following new provisions shall be substituted.

- 17.6. The process for the identification of candidates for written exam, skill test and interview as well as final selection shall be done as follows-

- 17.6.1. Under unreserved category, the identification shall be done from the consolidated merit list in the ascending merit order as shown in the following order -

- 17.6.1.1. Firstly, the process of identification shall be done for the total number of required female candidates under the unreserved category (UR_F).
- 17.6.1.2. Subject to the non-availability of the required number of female candidates under the unreserved category, the remaining identifications shall be done from unreserved open category (UR_O).
- 17.6.1.3. Identification of candidates under unreserved open category shall be done in the same number as the number obtained by subtracting the number of required or less than required available female candidates, the required divyang (UR_PH) candidates and required ex-servicemen (UR_EXS) candidates from the total number of required candidates under the unreserved category.
- 17.6.1.4. Under the unreserved category, the identification of required divyang candidates shall be done on the basis of the type of divyangata. If the posts advertised for, which is reserved for the divyang, under the unreserved category, is more than one and advertised for different types of divyangata or for groups of different type of divyangata, then, the identification shall be done for different types of divyangata or for group of different types of divyangata. In case of non-availability of the required number of divyang candidates, a blank identification should be done, and adjustment of any type should not be made.
- 17.6.1.5. The process of identification of required ex-servicemen candidates shall be done under the unreserved category. In the case of not finding the required number of ex-servicemen candidates, a blank identification should be done and adjustment of any type should not be made.
- 17.6.1.6. All such candidates, whose marks in the written examination or interview (in case of selection through interview only) are equal to or more than the minimum qualifying marks prescribed for the candidates of unreserved category, will be included in the process for identification under the unreserved category, irrespective of the fact that their original category or subcategory is reserved category (SC/ ST/ OBC) or reserved subcategory (SC_PH/ST_PH/OBC_PH/ SC_EXS/ST_EXS/OBC_EXS).
- 17.6.1.7. In the process of identification under the unreserved category in the remaining levels of selection except the final selection, the Female, Open, divyang, Ex-Servicemen candidates who have obtained the same marks as the identified last Female, last Open, last divyang, last Ex-Serviceman candidates, respectively, shall be identified under the Unreserved Category or Unreserved

- Subcategory in their respective class (Female / Open / Divyang/ Ex-servicemen).
- 17.6.1.8. In case of identification under any class (UR_F, UR_O, UR_PH, UR_EXS), identification shall not be done under other classes.
- 17.6.2. Under reserved category, the identification of Schedule Caste, Schedule Tribe and Other Backward Classes shall be done in the ascending merit order from the consolidated merit list, according to the order shown below -
- 17.6.2.1. First of all, the process of identification shall be done for the total required female candidates under the related reserved category (SC_F/ ST_F/ OBC_F).
- 17.6.2.2. In case of non-availability of female candidates in the required numbers under the related reserved category, the remaining identifications shall be done from the related reserved open category (SC_O/ST_O/OBC_O).
- 17.6.2.3. Identification of candidates under the related reserved open category shall be done by subtracting the required number or less than required available number of female candidates, required divyang candidates (SC_PH/ ST_PH/ OBC_PH) and the required ex-servicemen candidates (SC_EXS/ST_EXS/ OBC_EXS) from the total number of required candidates under the related reserved category.
- 17.6.2.4. Under the related reserved category, the identification of required divyang candidates shall be done on the basis of the type of divyangata. If the number of posts advertised, which is reserved for the divyang under reserved category, is greater than one, and is advertised for different types of divyangata or for groups of different type of divyangata, then, the identification should be done for different types of divyangata or for group of different types of divyangata. In the case of non-availability of divyang candidates in the required numbers, a blank identification should be done and adjustment of any type should not be made.
- 17.6.2.5. The process of identification of required ex-servicemen candidates shall be done under the related reserved category. In case of non-availability of ex-servicemen candidates in the required numbers, a blank identification should be done, and adjustment of any type should not be made.
- 17.6.2.6. In the process of identification under the Reserved category in the remaining levels of selections, except the final selection, the Female, Open, divyang, Ex-Servicemen candidates who have obtained the same marks as the identified last Female, last Open, last divyang, last Ex-Servicemen candidates, respectively, shall be identified under the Reserved Category or Reserved Subcategory in their respective class (Female / Open / Divyang/ Ex-servicemen).
- 17.6.2.7. Once identified under any class (SC_F, SC_O, SC_PH, SC_EXS, ST_F, ST_O, ST_PH, ST_EXS, OBC_F, OBC_O, OBC_PH, OBC_EXS), identification will not be done under other classes.
- 17.6.3. For the advertisements issued by the Commission in which the posts advertised for the divyang candidates have been included in the category-wise advertised total posts, the following procedure will be adopted by the Chhattisgarh Public Service Commission for identification of divyang candidates-
- 17.6.3.1. The required number of divyang candidates shall be identified from the consolidated merit list of the divyang candidates who remained deprived of identification under the unreserved and reserved categories.

- 17.6.3.2. If the advertised number of posts which are reserved for the divyang is greater than 01 and advertised for different type of divyangata or for groups of different type of divyangata, then, the identification should be done for different type of divyangata or for group of different types of divyangata, in the required numbers.
- 17.6.3.3. The category-wise required number of Open candidates shall be reassessed by deducing it from the available number of divyang candidates under the Unreserved Open (UR_O), Scheduled Caste Open (SC_O), Scheduled Tribe Open (ST_O) and Other Backward Class Open (OBC_O), based on the original category of the identified divyang candidates.
- 17.6.3.4. If no post is advertised under the original category of the identified divyang candidates, or, if the required number in that category is less than the number of identified divyang, due to which a zero remains after deduction from the required number, then, the adjustment should be made by subtracting the required number under the unreserved category. If the post is not advertised for even in the unreserved category, then, only in the final selection process, the divyang candidates should be identified without any adjustment / dissemination and a selection list should be issued by the department concerned with instructions for adjustment in future vacancies.
- 17.6.3.5. In a situation of non-availability of required number of divyang candidates, blank identifications should be done on the basis of percentage of reservation in the Chhattisgarh state or the posts should be carried forward at the time of final selection. For example -

If the number of divyang candidates, after the process of identification of required numbers against the reserved posts for the divyang candidates out of the category-wise total number of advertised posts, remains blank/gets carried forward due to unavailability of candidates, is **P**, then -

The new (latest) number of required candidates from the Scheduled Caste Open category SC_O shall be calculated as follows-

$SC_O = \text{Actual Number of required candidates from Scheduled Caste Open Category} - P \times \text{Percentage of reservation for Scheduled Caste category} / 100.$

The new (latest) required number of candidates from Scheduled Tribe Open category ST_O shall be calculated as follows-

$ST_O = \text{Actual Number of required candidates from Scheduled Tribe Open Category} - P \times \text{Percentage of reservation for Scheduled Tribe candidates} / 100.$

The new (latest) number of required candidates from the Other Backward Class Open category OBC_O should be calculated as follows-

$OBC_O = \text{Actual Number of required candidates from Other Backward Class Open category} - P \times \text{Percentage of reservation for Other Backward Class category} / 100.$

The new (latest) required number from unreserved Open category UR_O shall be calculated as follows-

$UR_O = \text{Sum of required number of candidates from all open categories} - (SC_O + ST_O + OBC_O) - P.$

In above calculations, if the number found is in decimals, then, that number should be replaced by the next integer when the decimal value is 0.5 or more. Otherwise, the decimal part should be removed without changing the whole number.

If the required number of candidates in a particular category is less than the number to be subtracted from that category, as the number of identified

divyang candidates is less than the number or is zero, then, the adjustment should be done by deducting it from the number of required candidates in the unreserved category. If the number of required candidates in the unreserved category is zero or less than the number of blank identifications for the divyang candidates, which has to be adjusted, then, the identification should be done for the divyang candidates without any deduction or adjustment.

As above, after the re-allocation of Unreserved Open (UR_O), Schedule Caste Open(SC_O), Schedule Tribe Open(ST_O) and Other Backward Class Open (OBC_O), the process of identification should be done afresh keeping the required number of Unreserved Female (UR_F), Unreserved Divyang (UR_PH), Unreserved Ex-Serviceman (UR_EXS), Schedule Caste Female (SC_F), Schedule Caste Divyang (SC_PH), Schedule Caste Ex-Serviceman (SC_EXS), Schedule Tribe Female (ST_F), Schedule Tribe Divyang (ST_PH), Schedule Tribe Ex-Serviceman (ST_EXS), Other Backward Class Female (OBC_F), Other Backward Class Divyang (OBC_PH), Other Backward Class Ex-Serviceman (OBC_EXS), unchanged. If, after the process of fresh identification, the number of divyang candidates against the advertised posts without any category for the divyang candidates is more than the divyang candidates found in the previous process then as per above clauses after re-allocation of Unreserved Open (UR_O), Scheduled Caste Open (SC_O), Scheduled Tribes Open (ST_O) and Other backward class open (OBC_O) the process of identification should be done a fresh keeping the required number of Unreserved Female (UR_F), Unreserved divyang (UR_PH), Unreserved Ex-Serviceman (UR_EXS), Schedule Caste Female (SC_F), Schedule Caste divyang (SC_PH), Schedule Caste Ex-Serviceman (SC_EXS), Schedule Tribe Female (ST_F), Schedule Tribe divyang (ST_PH), Schedule Tribe Ex-Serviceman (ST_EXS), Other Backward Class Female (OBC_F), Other Backward Class divyang (OBC_PH), Other Backward Class Ex-Serviceman (OBC_EXS) unchanged.

2. In the rule 18, wherever the word “25 percent” exists, it should be replaced by the word “50 percent”.
3. The present provisions under Rule 56.13 should be removed and replaced by new provisions given below –

56.13 “If there is a need to remove more than 20 percent of questions after online objection, then the commission can annul the exam and take decision on re-conduct of the examination. In multiple choice examinations, the exam results will be declared after resolving objections by experts.

Sd /-

(Jeevan Kishor Dhruv)
Secretary.